न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/66/2025	2025/285	02.06.2025	23.07.2025

1– सददाम हुसैन पुत्र फारूख जाति मेव निवासी दोहा तहसील फिरोजपुर झिरका जिला नूंह मेवात (हरियाणा)

अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास निर्णय दिनाक 25.03.2025 नामान्तकरण संख्या 777 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित

01. श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा — वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास के नामान्तकरण संख्या 777 वाके ग्राम महरमपुर निर्णय दिनाक 25.03.2025 तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, हाल आराजी खसरा न0 130 रकबा 0.15 है0 में से 1/6 भाग, 131 रकबा 0.1500 है0 में से 1/6 भाग, 148 रकबा 0.11 है0, 160 रकबा 0.11 है0, 166 रकबा 0.08 है0 किता 3 रकबा 0.30 है0 में से 1/3 भाग, 157 रकबा 0.18 है0, 188 रकबा 0.12 है0 में से 10/18 भाग वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास अजय कुमार गर्ग पुत्र बृजकिशोर गर्ग जाति महाजन निवासी मुबारिकपुर तहसील नौगांवा तहसील नौगांवा जिला अलवर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, अजय कुमार गर्ग व बिजेन्द्र कुमार ने अपने उक्त आराजी बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल लेकर मिन अपीलान्ट को जरिये रजि0 बयनामा बेचान कर दी जो बयनामा दिनाक 23.01.2025 को तहरीर व तकमील कराकर दिनाक 23.01.2025 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 618 में पृष्ठ संख्या 184 क्रंम संख्या 202503359100209 पर पंजिबद्व हुआ है। बाद पंजियन मिन अपीलान्ट द्वारा असल बयनामा पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दिया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 17.02.2025 को नामान्तकरण संख्या 777 दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण को यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया गया कि पटवारी दर्ज रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो में केता का नाम में गलत अंकन होने तथा पुनः जॉच हेतु विकल्प भी नही होने से नामान्तकरण खारिज किया जाता है। मिन अपीलान्ट द्वारा अपना बयनामा वास्ते नामान्तकरण दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को दिया गया तथा पटवारी हल्का द्वारा बयनामा में जो नाम दर्ज था उसी अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया गया है। नाम में कोई गलती नही है। नामान्तकरण गलत खारिज किया गया है। यदि नाम में कोई गलती होती है, तो बयनामा भी उप पजियक किशनगढबास के द्वारा ही स्वीकार किया गया है, तथा दुसरा दस्तावेज खारिज किया जाता है। सर्वथा गलत है। नामान्तरण की कार्यवाही हेतु बयनामा एक मात्र दस्तावेज होता है। अन्य कोई दूसरा दस्तावेज नही था बयनामा में दर्ज नाम ही नामान्तकरण में दर्ज होना था, किन्तु तहत अदालत के द्वारा गलत रूप से नामान्तकरण खारिज किया गया है। अपीलाधीन

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 05.05.2025 तब हुई जब पटवारी हल्का से असल बयनामा लेने गया जिस पर पटवारी हल्का ने बताया गया। जिस पर नकल हेतु आवेदन पत्र पेश कर बिना देरी किये यह अपील पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का पेश कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 25.03.2025 से आदिनाक तक की अवधि कन्डोन की जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.03.2025 नामान्तकरण संख्या 777 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 28.05.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 2 माह 2 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 में उल्लेख किया गया है, कि अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही थी, सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 05.05.2025 तब हुई जब पटवारी हल्का से असल बयनामा लेने गया जिस पर पटवारी हल्का ने बताया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि नामान्तकरण में वर्णित आराजी अजय कुमार गर्ग पुत्र बृजकिशोर गर्ग जाति महाजन निवासी मुबारिकपुर तहसील नौगांवा तहसील नौगांवा जिला अलवर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, अजय कुमार गर्ग व बिजेन्द्र कुमार ने आराजी बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल लेकर मिन अपीलान्ट को जरिये रजि0 बयनामा बेचान की है, जिसका बयनामा दिनाक 23.01.2025 को तहरीर व तकमील कराकर दिनाक 23.01.2025 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 618 में पृष्ठ संख्या 184 क्रंम संख्या 202503359100209 पर पंजिबद्व हुआ है। मिन अपीलान्ट द्वारा असल बयनामा पटवारी हल्का को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण दे दिया। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 17.02.2025 को नामान्तकरण संख्या 777 दर्ज किया जाकर वास्ते निर्णय हेतु तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण को यह लिखते हुऐ खारिज कर दिया गया कि पटवारी दर्ज रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो में क्रेता का नाम में गलत अंकन होने तथा पुनः जॉच हेतु विकल्प भी नही होने से नामान्तकरण खारिज किया जाता है। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहत अदालत द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 777 दिनाक 17.02.2025 को बयनामा संख्या 202503359100209 दिनाक 23.01.2025 के आधार पर दर्ज किया गया है। नामान्तकरण में वर्णित आराजी अजय कुमार गर्ग पुत्र बृजकिशोर गर्ग जाति महाजन निवासी मुबारिकपुर तहसील नौगांवा तहसील नौगांवा जिला अलवर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, अजय कुमार गर्ग व बिजेन्द्र कुमार ने आराजी बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल लेकर मिन अपीलान्ट को जरिये रजि0 बयनामा बेचान की है। बयनामा में अपीलान्ट के मोबाईल न/आधार कार्ड/पैन कार्ड का भी उल्लेख अंकित है, ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है, तहसीलदारा किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय दिनाक 25.03.2025 नामान्तकरण संख्या 777 वाके ग्राम महरमपुर तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)

जिला कलक्टर

खैरथल-तिजारा (राज0)